राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम योजना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2017-2018 से 2019-2020 की अवधि के लिये **राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम योजना (Rastriya Yuva Sashaktikaran Karyakram Scheme)** को जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

- **व्यय वित्त समिति** (Expenditure Finance Committee-EFC) के अनुमोदन के अनुरूप इसके लिये 1160 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

पृष्ठभूमि

- **12वीं पंचवर्षीय योजना** के दौरान वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से योजना को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया चलाई गई।
- योजना का उद्देश्य युवाओं में व्यक्तित्व और नेतृत्वकारी गुणों का विकास करना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करना है।
- इस योजना को 8 उप-योजनाओं के रूप में राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम के अधीन कर दिया गया है। इसके कारण योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिली।

योजना के लाभार्थी

- योजना के लाभार्थियों में 15-29 वर्ष आयु समूह के युवा शामिल हैं जो **राष्ट्रीय युवा नीति** (National Youth Policy), 2014 में **'युवा'** की परिभाषा के अनुरूप है।
- विशेष रूप से किशोरों से संबंधित कार्यक्रम के घटकों के मामले में आयु समूह 10-19 वर्ष है।
- राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित 8 उप-योजनाओं को शामिल किया गया है-

1. नेहरू युवा केंद्र संगठन (Nehru Yuva Kendra Sangathan-NYKS)
2. राष्ट्रीय युवा वाहिनी (National Youth Corps-NYC)
3. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (National Programme for Youth & Adolescent Development-NPYAD)
4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation)
5. युवा छात्रावास (Youth Hostels-YH)
6. स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता (Assistance to Scouting & Guiding Organizations)
7. राष्ट्रीय अनुशासन योजना (National Discipline Scheme-NDS)
8. राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम (National Young Leaders Programme-NYLP)

राष्ट्रीय युवा नीति (National Youth Policy)-2014

राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की शुरुआत की गई है।

- इसका लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिये उन्हें सशक्त बनाने और उनके ज़रिये देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है।
- इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये नीति में पाँच भली-भाँति परिभाषित उद्देश्यों और प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 11 क्षेत्र हैं-

1. शिक्षा
2. रोज़गार और कौशल विकास
3. उद्यमिता
4. स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन-शैली
5. खेल
6. सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना
7. सामुदायिक सहभागिता
8. राजनीति और शासन में भागीदारी

9. युवा सहभागिता
10. समावेशन
11. सामाजिक न्याय

विशेषताएँ

- राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 23 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है।
- राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अंतर्गत देश के युवाओं के लिये भारत सरकार के विज़न को परिभाषित किया गया है और उन मुख्य क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है जिनमें युवा विकास के लिये कार्रवाई अपेक्षित है और इसके अंतर्गत सभी हितधारकों के लिये कार्रवाई की एक रूपरेखा प्रदान की गई है।

स्रोत : पी.आई.बी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rastriya-yuva-sashaktikaran-karyakram-scheme